भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2436

04.08.2025 को उत्तर के लिए

वन्यजीव तस्करी

2436. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान दर्ज किए गए वन्यजीव से जुड़े अपराधों के मामलों की संख्या और जब्त की गई अवैध वन्यजीव वस्तुओं की मात्रा का राज्य-वार और वर्ष-बार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान तस्करी के दौरान बचाए गए और सफलतापूर्वक पुनर्वासित किए गए जानवारों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वन्यजीव तस्करी की रोकथाम में वन अधिकारियों, सीमा शुल्क कर्मियों, रेलवे पुलिस को प्रशिक्षित करने तथा जन जागरूकता अभियान और सामुदायिक पहुंच कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, विशेषकर अवैध व्यापार संभावित क्षेत्रों में निगरानी और प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ङ) सरकार द्वारा भारत भर में वन्यजीवों के अवैध व्यापार और तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) की क्षमता में वृद्धि करने या विशेषकर आंध्र प्रदेश में जमीनी स्तर पर प्रवर्तन बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय वन्यजीव अपराध इकाइयाँ स्थापित करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) वन्यजीवों का संरक्षण, प्रबंधन और सुरक्षा, जिसमें अवैध तस्करी की रोकथाम भी शामिल है, मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की ज़िम्मेदारी है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन की स्थिति में ज़ब्ती करने और अपराध दर्ज करने का अधिकार देता है। राज्य और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) को दी गई जानकारी के अनुसार, पंजीकृत वन्यजीव अपराध मामलों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग) से (ङ) वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए राज्यों और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ खुफिया जानकारी एकत्रित करता है और साझा करता है तथा अवैध वन्यजीव व्यापार के बारे में कार्रवाई योग्य चेतावनी भी जारी करता है। ब्यूरो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय करता है। डब्ल्यूसीसीबी अंतर-एजेंसी समन्वय बैठकें आयोजित करता है, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान चलाता है, राज्य पुलिस, वन और सीमा शुल्क अधिकारियों की क्षमता

को मजबूत करने का कार्य करता है। यह सीमा सुरक्षा बलों के लिए संवेदनशीलता कार्यक्रम और पंचायती राज संस्थाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान डब्ल्यूसीसीबी द्वारा चलाए गए प्रशिक्षणों, जागरूकता अभियानों और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

सरकारी अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	**2020-**	**2021-22**	**2022-**	**2023-**	**2024-**
	119	208	193	157	129
जागरूकता अभियान और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम	03	28	38	37	22

डब्ल्यूसीसीबी संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए सावेन, इंटरपोल और यूएनओडीसी जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भी सहयोग करता है। भारत वन्यजीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (सीआईटीईएस) का एक पक्षकार देश है और उसने वर्ष 2022 में इस अधिनियम में संशोधन के माध्यम से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में सीआईटीईएस के उपबंधों को शामिल किया है।

(च) सरकार ने संगठित वन्यजीव अपराध पर नियंत्रण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का क्षेत्र वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

***

अनुलग्नक I

वन्यजीव तस्करी" के संबंध में दिनांक 04.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे जाने वाले **लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2436 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

पिछले पांच वर्षों में दर्ज वन्यजीव अपराध मामलों का विवरण:

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2020	2021	2022	2023	2024
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	0	5	36
2	आंध्र प्रदेश	29	38	48	21	17
3	अरुणाचल प्रदेश	4	4	3	3	-
4	असम	40	41	42	29	26
5	बिहार	2	8	4	12	8
6	चंडीगढ़	-	1	1	-	-
7	छत्तीसगढ	14	6	8	7	1
8	गोवा	12	1	12	8	4
9	गुजरात	6	8	9	7	6
10	हरियाणा	99	110	3	5	26
11	हिमाचल प्रदेश	24	37	6	7	2
12	जम्मू और कश्मीर	18	4	1	5	-
13	झारखंड	2	3	18	12	4
14	कर्नाटक	25	16	26	14	3
15	केरल	6	6	3	5	1
16	मध्य प्रदेश	30	40	28	33	14
17	महाराष्ट्र	18	27	14	11	7
18	मणिपुर	1	-	0	3	1
19	मेघालय	28	13	28	1	1
20	मिजोरम	-	-	0	1	1
21	नागालैंड	-	2	2	-	1
22	ओडिशा	56	27	32	13	15
23	राजस्थान	-	6	3	5	17
24	सिक्किम	-	-	-	-	-
25	तमिलनाडु	74	26	52	26	22
26	तेलंगाना	44	3	4	-	-
27	उत्तर प्रदेश	131	64	53	19	30
28	उत्तराखंड	48	33	37	23	13
29	पश्चिम बंगाल	71	81	76	48	73
30	पुदुचेरी	-	-	-	-	-
31	लक्षद्वीप	7	16	13	-	1
32	दिल्ली	7	3	6	12	2
33	त्रिपुरा	11	3	12	1	3
34	पंजाब	12	4	2	13	18
35	दमन और दीव	-	-	-	-	1
36	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-	-

***